FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

वादी | **बनाम** | **प्रतिवादी**

श्रीमती बगदी देवी — राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या– 164/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	वादी श्रीमती बगदी देवी पुत्री उम्मेदराम जाति जाट निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प खेजड़ला** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 253 रकबा 7.1435 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 32.0100 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 67.0200 बीघा की संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी ह। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता उम्मेदराम पुत्र गिगाराम जी की थी। खातेदार उम्मेदराम पुत्र गिगाराम का देहान्त सन् 2009–2010 में हो गया। वादी के पिता उम्मेदराम की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 2177 दिनांक 06.08.2010 को स्वीकृत किया गया तब वादी का नाम बगदी देवी [illegible] सायरी देवी लिख दिया गया जबकि वादी का [illegible] देवी है तथा सरकारी दस्तावेज भी बगदी देवी पुत्री [illegible] के नाम से जारी किये हुए है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में सायरी देवी पुत्री उम्मेदराम के स्थान पर बगदी देवी पुत्री उम्मेदराम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी बगदी देवी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी बगदी देवी का जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, श्रमिक कार्ड, राशनकार्ड, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076, जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत खेजड़ला द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 22.11.2021 को पेश किया है। तथा वादी के समर्थन में बयान श्रवण पुत्र उम्मेदराम के कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया,

जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपराक्त खातेदारी भूमि में सायरी गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एवं मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रही हूं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम बगदी देवी के बजाय सायरी देवी दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 253 रकबा 7.1435 हैक्टेयर (44.0300 बीघा), खसरा नम्बर 262 रकबा 32.0100 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 67.0200 बीघा की संयुक्त खातेदारी भूमि में सायरी देवी पुत्री उम्मेदराम के बजाय बगदी देवी पुत्री उम्मेदराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम खेजड़ला में खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

	उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02.34 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व [illegible] [illegible]तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 [illegible] दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] जड़ला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

श्रीमती बगदी देवी पुत्री उम्मेदराम
जाति जाट निवासी खेजड़ला
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 164/2021

निर्णय **दिनांक** :– 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 253 रकबा 7.1435 हैक्टेयर (44.0300 बीघा), खसरा नम्बर 262 रकबा 32.0100 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 67.0200 बीघा की संयुक्त खातेदारी भूमि में सायरो देवी पुत्री उम्मेदराम के बजाय बगदी देवी पुत्री उम्मेदराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			द[illegible]		
मीजान			म[illegible]		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल ख[illegible] डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested